

अनुमंडल न्यायालय-असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) बनमनखी, पूर्णिया बिहार

स्वत्व वाद सं.27/21

सी.आई.एस.क्र.27/21

सदानन्द यादव एवम अन्य बनाम सारदा देवी एवम अन्य

Order date	Order with signature of the Court	Office action taken
11/06/24	<p>वादी एवम प्रतिवादी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता की हाजिरी है यह अभिलेख प्रतिवादी सं.1,2 एवम 3 की ओर से प्रस्तुत आवेदन दिनांक 06/05/24 पर सुनवाई एवम आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया उक्त आवेदन को संचालित कर प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समर्पित किया गया की प्रतिवादी सं.2 एवम 3 अशिक्षित व्यक्ति हैं एवम वे नकल हेतु आवेदन किए थे परन्तु नियत समय में नकल न मिल पाने के कारण प्रतिवादी नियत समय में उपस्थित नहीं हो सके जिस कारण से उनके विरुद्ध एक पक्षीय सुनवाई का आदेश पारित हो गया है अतः निवेदन है की उक्त आदेश को वापस लेते हुए प्रतिवादी सं.2 एवम 3 के लिखित कथन को ग्रहण करने की कृपा की जाय </p> <p>वादी के द्वारा मौखिक आपत्ति व्यक्त किया गया है </p> <p>उभयपक्ष को सुना एवम अभिलेख का अवलोकन किया अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है की प्रतिवादी सं.1,2 एवम 3 नियत समय में उपस्थित नहीं हुए जिस कारण से दिनांक 02/11/23 को एक पक्षीय सुनवाई का आदेश किया गया है इस वाद में अभि कोड़ भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है वाद के प्रभावी एवम न्यायपूर्ण निराकरण हेतु उभयपक्ष के अभिवचन को अभिलेख पर लाया जाना आवश्यक है अतः वादी के उक्त आवेदन को स्वीकृत कर प्रतिवादी गण के लिखित कथन को ग्रहण किया जाता है वाद दिनांक 18/07/24 को धारा 89 सी.पी.सी. के अन्तर्गत निपटारे हेतु नियत </p> <p style="text-align: right;">लेखापित-</p> <p style="text-align: right;">असैनिक न्यायाधीश(व.को.) बनमनखी, पूर्णिया</p>	